

चार कंपनियों को 46.79 करोड़ रुपये की निवेश प्रोत्साहन राशि स्वीकृत

राज्य खूरी, जागरण • लखनऊ: प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत गठित इम्पायर्ड कमेटी की सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गौयल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 के अंतर्गत चार औद्योगिक इकाइयों को कुल 46.79 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि वितरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में नोडल एजेंसी पिकप की ओर से प्रदेश में मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएं व रियायतें उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया। कमेटी ने जेके सीमेंट लिमिटेड, हमीरपुर को एक अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 29.59 करोड़ रुपये, कनोडिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी को एक जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 (एक तिमाही) की अवधि के लिए 3.62 करोड़ रुपये, अंकुर



मुख्य सचिव एसपी गौयल (फाइल) उद्योग लिमिटेड, गोरखपुर को इसी अवधि के लिए 10.38 करोड़ रुपये तथा यूनिलीवर इंडिया लिमिटेड, हमीरपुर को एक अप्रैल 2024 से 31 दिसंबर 2024 (तीन तिमाही) की अवधि के लिए 3.20 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कर कांमिनी रतन चौहान, इनवेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद, विशेष सचिव न्याय मनमोहन सूरी, विशेष सचिव एमएसएमई शिशिर आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।